संख्या-4/2023/358/39-4-2023-15-116-2021

प्रेषक,

राम नगीना मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक आयुक्त संगठन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2023

विषय - मा0 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रयोगार्थ वाहन को क्रय किये जाने की अनुमति एवं अपेक्षित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, लोक आयुक्त संगठन के पत्र संख्या-561/लो0अ0-2023-57/2021 दिनांक 16.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 लोक आयुक्त प्रशासन के प्रयोगार्थ मारुति Ertiga Smart Hybrid VXI 1-5L को क्रय किये जाने हेतु रू0-8,34,998/- (रूपये आठ लाख चौतीस हजार नौ सौ अठ्ठानबे मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) मा0 लोक आयुक्त संगठन द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी के उपरान्त प्राप्त कुल धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा करने के उपरांत ही प्रतिस्थापन स्वरूप उक्त वाहन को क्रय किये जाने हेतु धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मा0 लोक आयुक्त संगठन द्वारा उपकरण का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा।

(3) धनराशि आहरित करने से पूर्व मा0 लोक आयुक्त संगठन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त वाहन क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब वाहन आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(4) मा0 लोक आयुक्त संगठन द्वारा क्रय किये जाने वाले वाहन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता आदि के संबंध में पूर्णतः स्वस्तर से संतुष्ट हो लेगें।

(5) वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) मा0 लोक आयुक्त संगठन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का प्रयोग दिनांक 31 मार्च 2023 तक सुनिश्चित कर लिया जाय। वाहन क्रय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-8,34,998/- (रूपये आठ लाख चौतीस हजार नौ सौ अठ्ठानबे मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-082 लेखा शीर्षक 4070008000500 लोक आयुक्त संगठन मानक मद सं0-14 मोटर गाड़ियों का क्रय (भारित) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 के अशासकीय सं0-E-12-754-X-2022-23 दिनांक 15 मार्च 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राम नगीना मौर्य
विशेष सचिव।

संख्या-4/2023/358(1)/39-4-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12
(4) वित्त (आय-व्यनयक) अनुभाग- 1/2
(5) नोडल अधिकारी को शासनादेश अपलोड कराने हेतु।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम नगीना मौर्य
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।